कार्यकारी सार

कार्यकारी सार

पृष्ठभूमि

हरियाणा सरकार के वित्तों पर यह प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 में राज्य के वित्तीय निष्पादन एवं बजट अनुमानों, वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध (वि.उ.ब.प्र.) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों का मूल्यांकन तथा सरकार की प्राप्तियों एवं वितरण की प्रमुख प्रवृत्तियों तथा संरचनात्मक प्रोफाइल का विश्लेषण करता है।

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के हरियाणा सरकार के लेखापरीक्षा किए गए लेखाओं तथा कई स्रोतों जैसे राज्य सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण तथा जनगणना से प्राप्त अतिरिक्त डाटा पर आधारित, यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं की विशलेषणात्मक समीक्षा करता है।

अध्याय – 1 वित्त लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा हरियाणा सरकार की 31 मार्च 2014 की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह प्राप्तियों तथा वितरण की टाईम सीरीज, बाजार उधारों, व्यय की गुणवत्ता, सरकारी व्यय तथा निवेश का वित्तीय विश्लेषण, ऋण संपोषण क्षमता तथा वित्तीय असन्तुलन का लेखा प्रदान करता है।

अध्याय – 2 विनियोजन लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा विनियोजनों का अनुदान वार विवरण देता है। यह वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन, ट्रेजरीज की वर्किंग में कमियां तथा चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम का विस्तृत विवरण करता है।

अध्याय – 3 हरियाणा सरकार द्वारा, विभिन्न रिपोर्टिंग अपेक्षाओं और वित्तीय नियमों की अनुपालना से संबंधित सूची है।

लेखापरीक्षा परिणाम एवं सिफारिशें

अध्याय 1

राज्य सरकार के वित्त:

राजस्व घाटा, जो 2011-12 के दौरान शून्य तक नीचे लाया जाना तथा 2014-15 तक शून्य बनाए रखना अपेक्षित था, गत वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान थोड़ा सा कम हो गया। वित्तीय मानकों अर्थात् राजस्व, वित्तीय तथा प्राथमिक घाटा जो 2012-13 में क्रमश: ₹ 4,438 करोड़, ₹ 10,362 करोड़ तथा ₹ 5,618 करोड़ था 2013-14 में क्रमश: ₹ 3,875 करोड़, ₹ 8,314 करोड़ तथा ₹ 2,464 करोड़ तक कम हो गया।

वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान (₹ 5,850 करोड़), 2012-13 से 23 प्रतिशत तक बढ़ गया तथा वित्तीय सुधार पथ (₹ 5,180 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों तथा तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा (₹ 5,314 करोड़) से उच्चत्तर था परंतु मध्यम अवधि वित्तीय नीति विवरणी में किए गए प्रक्षेपणों (₹ 6,302 करोड़) के भीतर था।

राजस्व व्यय (₹ 41,887 करोड़) कुल व्यय (₹ 46,598 करोड़) का 90 प्रतिशत था तथा नान-प्लान घटक (₹ 31,735 करोड़) राजस्व व्यय का 76 प्रतिशत था जो तेरहवें वित्त आयोग के नार्मेटिव निर्धारण (₹ 22,138 करोड़) तथा वित्तीय सुधार पथ के प्रक्षेपण (₹ 31,135 करोड़) से अधिक था।

दो विभागों के चालीस प्रोजेक्टस जो मई 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य पूर्ण किए जाने निर्धारित थे अभी भी अधूरे पड़े थे (जून 2014)। अधूरे प्रोजेक्टस में टाइम ओवररन पर नियंत्रण किए जाने की जरूरत है।

सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों तथा सहकारिताओं में सरकार के निवेशों पर औसत रिटर्न गत पांच वर्षों में 0.02 से 0.17 के मध्य था जबकि सरकार ने अपनी उधारों पर 9.22 से 9.86 प्रतिशत का औसत ब्याज भुगतान किया। 2013-14 के दौरान निवेशों का अधिकांश भाग (72 प्रतिशत) विभिन्न विद्युत कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश के रूप में किया गया।

भारत सरकार ने गत वर्ष की तुलना में ₹ 290.22 करोड़ (14 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष के दौरान राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे ₹ 2,308.06 करोड़ ट्रांसफर किए। चूंकि ये निधियां राज्य बजट के माध्यम से पारित नहीं होती, वित्त लेखे केन्द्रीय सरकार संसाधनों के राज्य में निधि प्रवाह का पूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं करते।

अध्याय – 2

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण:

2013-14 के दौरान, ₹ 78,118.14 करोड़ के कुल अनुदानों तथा विनियोजनों के विरूद्ध ₹ 61,250.73 करोड़ का व्यय किया गया। ₹ 17,197.08 करोड़ की बचतों तथा ₹ 329.67 करोड़ की अधिकता के कारण ₹ 16,867.41 करोड़ की समग्र बचतें थी। वर्ष 2013-14 के ₹ 329.67 करोड़ तथा 2012-13 के ₹ 428.10 करोड़ के अधिक व्यय भारत के संविधान की धारा 205 के अंतर्गत विनियमित किए जाने अपेक्षित थे।

46 मामलों में, ₹ 14,332.63 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंत में वापस किए गए। पांच मामलों में, ₹ 1,654.68 करोड़ वापस किए गए जो वास्तविक बचतों से ₹ 32.05 करोड़ अधिक थे तथा इन विभागों में अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त 15 मामलों में ₹ 13,599.30 करोड़ की बचतों में से ₹ 2,967.99 करोड़ की बचतें सरेंडर नहीं की गई। निधियों का अपर्याप्त प्रावधान तथा अनावश्यक अथवा अधिक पुनर्विनियोजन किया गया था।

12 अनुदानों के अंतर्गत 17 मुख्य शीर्षों में ₹ 3,288.63 करोड़ (37 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2014 के माह के दौरान किया गया जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यय के वेग को दर्शाता है तथा सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 56 के प्रावधानों के विरूद्ध था।

2013-14 के दौरान ₹ 18,000 करोड़ की अनुमानित राशि के विरूद्ध प्लान व्यय केवल ₹ 15,712.16 करोड़ (87 प्रतिशत) था। ₹ 1,498.43 करोड़ के अनुमोदित प्लान परिव्यय वाली 143 स्कीमों में कोई व्यय नहीं किया गया तथा 299 स्कीमों में ₹ 7,348.08 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय के विरूद्ध ₹ 3,984.63 करोड़ का व्यय किया गया।

अध्याय – 3

वित्तीय रिपोर्टिंग:

विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान किए गए ₹ 3,691.25 करोड़ के ऋणों तथा अनुदानों के संबंध में 1,391 उपयोगिता प्रमाण पत्र 31 मार्च 2014 को बकाया थे। 114 स्वायत निकायों/प्राधिकरणों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, के 269 वार्षिक लेखे 31 जुलाई 2014 को बकाया थे। 28 स्वायत निकायों, जिनकी लेखापरीक्षा राज्यों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है, में से छः ने गत 17 वर्षों से अपने वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए थे।

राज्य सरकार ने ₹ 1.58 करोड़ की राशि के सरकारी धन से आवेष्टित दुरूपयोग, जालसाजी इत्यादि के 137 मामले सूचित किए जिन पर जून 2014 तक अंतिम कार्यवाही की जानी लंबित थी। इनमें से 120 मामले पांच वर्षों से अधिक पुराने थे।

2013-14 के दौरान कुल व्यय का 13.96 प्रतिशत तथा कुल राजस्व प्राप्तियों का 4.10 प्रतिशत, वित्त लेखाओं में अलग से वर्णित करने के बजाय बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए थे जो वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करती है।